

पुस्तकालय

2656 ①
15/4/08



असंशोधित

1 APR 2008

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन संख्या

नं०स०प्र०स० ७४५ तिथि १५-४-०८

क्रमांक-१८ - श्री गजकिशोर केशरी

श्री राजकिशोर केशरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पूर्णियां जिला के पूर्णियां अंचल अंतर्गत महाराजपुर पंचायत के पित्रगिया गांव, वीरपुर पंचायत के सिमायगाछी गांव एवं पूर्णियां शहरी क्षेत्र के वार्ड नं०-५ के आदिवासी टोला, वार्ड नं०-३६ के महाराजी टोला के उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करावें । "

सभापति महोदय, यह पित्रगिया गांव में करीब ५ वर्षों से कन्ज्यूमर बने हुए हैं लोग और अभी भी तक उस गांव में कन्ज्यूमर बनने के बाद लाईन नहीं गयी है । दूसरा सिमायगाछी गांव में १५ वर्ष पूर्व लाईन था, पोल है अभी थोड़ा सा अगर उसमें तार और ट्रांसफार्मर दे दिया जाय तो वहां वह जल सकता है, ४-५ किलोमीटर लगभग है वहां भी शहरी क्षेत्र में भी सर आदिवासी टोला है शहर का मामला है, शहर में भी अगर हो जाता तो अच्छा रहता । सभी लोग कन्ज्यूमर बने हुए हैं और काफी परेशान हैं लोग ।

श्री नंदकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, पूर्णियां जिलांतर्गत पूर्णियां शहरी क्षेत्र के ७० प्रतिशत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति चालू है । नवनिर्मित आदिवासी टोला में विद्युत आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया में है । वार्ड नं०-३६ के महाराजी टोला में विद्युत आपूर्ति की जा रही है । उक्त वार्ड के टोले में नये बसे आवेदकों के द्वारा विभागीय औपचारिकता पूरी करने के पश्चात् विद्युत आपूर्ति कर दी जायेगी । पूर्णियां अंचल के अंतर्गत महाराजपुर पंचायत के पित्रगिया गांव वीरपुर पंचायत के सिमायगाछी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित विस्तृत कार्य योजना प्रतिवेदन में स्वीकृत है । पुनरीक्षित विस्तृत कार्य योजना प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु आर०आई०सी० दिल्ली से अनुरोध किया गया है । स्वीकृति उपरांत विद्युतीकरण की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राजकिशोर केशरी : ऐसा है सभापति महोदय कि पूर्णियां आदिवासी टोला में सभी प्रक्रिया कन्ज्यूमर पूरा किये हुए हैं और वहां जो बताया गया है कि वहां हो गया है या होनेवाला है हमको लगता है कि गलत जवाब भेजा गया है वहां से, वहां पर कुछ नहीं किया गया है और वहां पर सब प्रतीक्षा में हैं, आदिवासी लोग हैं शहर के अन्दर उनलोगों को काफी कठिनाई होती है, दूसरा पित्रगिया गांव के बारे में कहा गया कि वह पावर ग्रिड से होगा, पावर ग्रिड से कितने दिनों से मैं सुन रहा हूँ लगभग दो साल से हम सुन रहे हैं कि होगा, होगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है । हम चाहेंगे कि उसको बिजली बोर्ड से आप करवा दीजिये तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पावर ग्रिड से करवाने के लिये पहले भी कहा गया था नहीं हुआ । हम चाहेंगे कि बिजली विभाग से करवा दीजिये ।

श्री नंदकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि नवनिर्मित आदिवासी टोला में विद्युत आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया में है, मैंने यह नहीं कहा कि हो गया, इसलिये ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुआ उसको हां कर देंगे । दूसरा मैंने कहा कि पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाकर विस्तृत कार्य योजना प्रतिवेदन बना कर आर०आई०सी० दिल्ली को उसकी स्वीकृति शीघ्र

होनेवाली है और उसके उपरांत उसके बारे में विस्तृत कार्रवाई की जायेगी । इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार विशेषकर पूर्णियां के बारे में और राजकिशोर केशरीजी के विधान सभा क्षेत्र के बारे में अधिक चिंतित है इसलिये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य वापस लेंगे ?

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य कभी क्षेत्र में जाते हैं जो इनको मालूम है कि किस टोला में बिजली है किसमें नहीं है ?

श्री राजकिशोर केशरी : कबतक ? हम चाहेंगे कि माननीय मंत्रीजी यह बता दें समय सीमा बता दें कि इतने दिनों में हो जायेगा उसके बाद फिर हम वापस ले लेंगे ।

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, वह सोचते हैं उसके पहले कराने की कोशिश करेंगे ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य वापस ले लें ।

श्री राजकिशोर केशरी : आप सर ले रहे हैं जिम्मेवारी हम आप ही को खोजेंगे दो माह के बाद ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- १९ - श्री विनोद नारायण झा

श्री विनोद नारायण झा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड के लखनौर ग्राम में २७ वर्ष पूर्व शुरू की गयी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु जलमीनार (वाटर टैंक) का अविलम्ब निर्माण कर उसे चालू करावें । "